ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/170

मिसल नम्बर– 50/2024

1. श्रीमती शांति देवी अमेरिया पत्नी स्व0 श्री श्यामलाल जी आयु 64 वर्ष जाति जागिड ब्राहमण निवासी दुबे पार्क के सामने, टाटाच टावर के पास, महावीर कोलोनी रंगपुर रोड कोटा जं0 जिला कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.मीना उर्फ बबली पत्नी स्व0 विजय आयु 41 वर्ष जाति जांगिड ब्राहमण निवासी द्वारा भरत राम शर्मा, 388 शास्त्री नगर दादा बाड़ी कोटा
2.अविनाश आत्मज जगदीश आयु 35 वर्ष जाति जांगिड निवासी रूपा हेडा हाल निवासी दुबे पार्क के सामने, टाटा टावर के पास, महावीर कोलोनी रंगपुर रोड कोटा जं0
3.लाली पत्नी अविनाश आत्मज जगदीश आयु 32 वर्ष जाति जांगिड निवासी रूपा हेडा हाल निवास दुबे पार्क के सामने, टाटा टावर के पास, महावीर कोलोनी रंगपुर रोड कोटा जं0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/3/25

उपस्थितिः–

1.श्री देवेन्द्र मीणा अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री हेमन्त शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एक सीनियर सिटीजन व विधवा तथा वृद्ध महिला है । प्रार्थीया के पति का देहावसान दिनांक 26–12–2015 को हो गया है। प्रार्थीया का मिल्कियती एक मकान महावीर कोलोनी, रंगपुर रोड कोटा जंकशन जिला कोटा राजस्थान में स्थित है जिसे प्रार्थीनी ने अपनी निजी पूंजी से व मेहनत करके खरीद कर मकान बनाया है जिसमें प्रार्थीनी निवास करती चली आ रही है जिसकी प्रार्थीया मालिक है। प्रार्थीया के दो पूत्र बडा विजय एंव छोटा अजय है। दोनों का विवाह कर दिया है तथा एक लड़की रीना है जो भी ससुराल में निवास करती है। छोटा पुत्र अजय अपने परिवार के साथ उदयपुर में निवास करता है। प्रार्थीया के बडे पुत्र विजय का विवाह प्रतिपक्षीनी नं० 1 के साथ हुआ था जिससे एक पुत्री राशि आयु 17 वर्ष व पुत्र विष्णु उर्फ केशव आयु 14 वर्ष है। जो प्रार्थीनी के साथ व उसकी संरक्षकता में निवास कर रहे है। प्रार्थीया के बड़े पुत्र विजय अपनी पत्नी प्रतिपक्षीनी नं० 1 के आचरण व

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

..र से बहुत दुखी था ओर प्रतिपक्षीनी नं० 1 ने विजय अपने पति को इतना टोर्चर कर ..ा कि उसको आत्म हत्या करने जैसा कदम उठना पड़ा इसी के चलते प्रार्थीनी के पुत्र ..जय ने दिनांक 12–12–2018 को आत्म हत्या करली। प्रार्थीनी के बड़े पूत्र का देहावसान हो जाने के बाद प्रार्थीनी अपनी पुत्रकधू प्रतिपक्षीनी नं० 1 व अपने दोनों पोते पोती का भरण पोषण करती चली आ रही थी । प्रार्थीनी के पति रेल्वे में थे जिनका देहावसान हो जाने पर उनकी फेमिली पेंशन प्रार्थीया को प्राप्त होती थी उसी में ही सारा खर्चा करती थी। प्रार्थीया के पुत्र का देहावसान हो जाने के पश्चात् 12वें के कार्यक्रम के दोरान प्रतिपक्षीनी द्वारा प्रार्थीनी के मकान पर कब्जा करने की नियत से अपने भाई प्रतिपक्षी न० 2 जो अविवाहित था को कोटा बुला लिया ओर तभी प्रतिपक्षीनी नं० 1 के साथ उक्त मकान के ग्राउन्ड फूलोर पर निवास करने लगे। इस मध्य तीन वर्ष बाद प्रतिपक्षी नं० 2 का विवाह प्रतिपक्षी नं० 3 के साथ हो गया ओर विवाह के बाद भी प्रार्थीनी के मकान मे रहने लगे। इस पर प्रार्थीया ने आपत्ति की तो प्रतिपक्षीगण ने कहा कि कुछ दिनों के लिये यहां रहेगें व बाद में वापस चले जावेगें। किन्तु उक्त मकान से प्रतिपक्षी नं0 2 व 3 नहीं गये ओर निवास करते रहे। इस दोरान नल व बिजली के समस्त बिलों का भूगतान भी प्रार्थीया को ही करना पड़ा है। इस मध्य प्रतिपक्षीनी नंव 1 ने भरत शर्मा आत्मज हंसराज निवासी दादाबाडी कोटा से दिनांक 14–2–24 को दूसरा विवाह कर लिया व प्रतिपक्षनी न० 1 विवाह के बाद उसके नये पति के साथ दादाबाडी कोटा में निवास कर रही है। प्रार्थीया ने प्रतिपक्षी न० 1 को अपने मकान में रहने हेतु स्वीकृति दी थी किन्तु प्रतिपक्षी नं० 2 व 3 को रहने की अनुमति नहीं दी बल्कि प्रतिपक्षीनी नं० 2 व 3 उक्त मकान में बतोर अतिकमी मकान के ग्राउन्ड फुलोर में निवास करते चले आ रहे है। जिनको रहने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थया ने प्रतिपक्षी नं० 1 द्वारा प्रार्थीया के पुत्र की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लेने के बाद प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीया के मकान का ग्राउन्ड फूलोर खाली करने को कहा तो प्रतिपक्षीनी 1– 2–3 ने मिल कर प्रार्थीया के साथ मारपीट भी की तथा जान से मार कर मकान पर कब्जा कर लेने की धमकी दी है तथा प्रार्थीया के पोत्रों से भूंठी शिकायत करवाते रहते है। जिसके कारण प्रार्थीया मानसिक रूप से परेशान रहने लगी । प्रार्थीया के पास पेंशन के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है। प्रार्थीया के दोनों पोत्रों का खर्चा प्रार्थीया ही वहन कर रही है। प्राथीया अपने ग्राउन्ड फुलोर के पोर्शन में किरायेदार रख कर अपना व पोत्रों का गुजारा करना चाहती है। प्रतिपक्षीगण के दुव्यवहार के कारण प्रार्थीया की जान खतरे में आ गयी है तथा प्रार्थीया का अपने स्वयं के मालिकाना मकान में रहना दूभर हो गया है। क्ङांकि प्रतिपक्षी न0 2–3 आये दिन ही प्रार्थीया के साथ गाली गलोच करते रहते है व प्रार्थीया को ही मकान से बेदखल करने की धमकी देते रहते है। उक्त परिस्थितियों में प्रतिपक्षीगण को भूखण्ड स० 48–बी ब्लाक 22.6×30 फीट पर बना मकान वाके महावीर कोलोनी, रंगपूर रोड कोटा जंकशन जिला कोटा स्थित मकान कर ग्राउन्ड फलोर से बैदंखल करवाया जाना व प्रार्थीया की सुरक्षा प्रदान करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को तलब किया जाकर प्रतिपक्षीगण को भूखण्ड स० 48–बी ब्लाक 22.6×30 फीट पर बना मकान वाके महावीर कोलोनी, रंगपुर रोड कोटा जंकशन जिला कोटा के ग्राउन्ड फलोर से बैदखल कराये जाने व प्रार्थीया को कब्जा दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। तथा प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीया को उक्त मकान में शांति पूर्वक रहने देवे तथा उनके साथ कभी कोई झगडा फसाद व गाली गलोच आदि क्रूरता

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

व्यवहार कर मारपीट कर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित नहीं करे और मकान में
न व कब्जा करने का प्रयास नहीं करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया वर्तमान मे पूर्णतया स्वस्थ है, क्योकि प्रार्थीया के पास मे सरकारी पेन्शन प्राप्त होती है जिससे पूर्णतया सक्षम है। मकान प्रार्थीया के पति श्यामलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में अन्ता का मकान बेचान कर उक्त सम्पत्ति (मकान)को खरीदा गया एवं बनाया गया था। स्वयं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पति स्वर्गीय श्यामलाल जी के नाम मुतार आम का दस्तावेज आलेखित है। उस दस्तावेज में स्वर्गीय श्यामलाल जी मुख्तार आम नियुक्त है। स्वर्गीय श्यामलाल जी ने अपनी पैत्रिक सम्पत्ति को बेचकर कोटा का मकान खरीद किया गया और निर्माण करवाया गया। प्रार्थीया के पास मे स्वयं की कोई आय नही थी, तथाकथित उपरोक्त पैरा मे निजी पूंजी व मेहनत कर मकान बनाने वाली बात पूर्णतया असत्य , कथनो को अंकित करती है। प्रार्थीया द्वारा प्रतिपक्षीनी नम्बर 1 के विरूद्ध जो आरोप लगाया गया है वह पूर्णतया निराधार व असत्य होने से स्वीकार नही है। क्योकि न तो प्रतिपक्षी नम्बर 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की है और न ही प्रकरण जेरकार है , बनावटी कथनो के आधार पर पैरा नम्बर 5 मे कथन अंकित किये गये है वह पूर्णतया निराधार है इस प्रकार से अर्जीदारद्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतःही निरस्तनीय है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 अपने बच्चो का स्वयं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चो का पालन पोषण कर रही है। एवं प्रतिपक्षी नम्बर 2 अपनी आय से अपनी बहिन व दोनो भान्जे – भान्जी का खर्चा वहन करते है और पालन पोषण, व देखभाल करते चले आ रहे है। प्रार्थीया स्वयं अपने पैन्शन के पैसो को मनमर्जी से उपयोग व उपभोग करती है प्रतिपंक्षीगण के पूत्र एवं पुत्री को किसी भी प्रकार का कोई भी भरण पोषण नही करती है और न ही खर्चा वहन करती है। बल्कि अपने छोटे पुत्र अजय से मिलकर प्रतिपक्षी नम्बरन 1 व उनके दोनो बच्चो को बेघरबार करना चाहते है, जबकि उक्त मकान प्रतिपक्षी नम्बर 1 ससुर व दादी ससुर की सम्पत्ति होने के कारण दोनो पोते –पोती का अधिकार सुरक्षित है। प्रार्थीया स्वयं अपने छोटे पुत्र अजय से मिलकर प्रतिपक्षी नम्बर 1 व उनके दोनो बच्चो को आपसी षडयन्त्र रचकर बेघरबार करना चाहते है। एवं मकान को हडपना चाहते है। जबकि प्रतिपक्षी नम्बर 1 व उसके दोना पुत्र एवं पुत्रियो का अधिकार निहित है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 की पुत्र एवं पुत्रियो को घर से बेघरबार कर दिया गया तो बिना पिता के पुत्रो का रोड पर जीना दुर्भर हो जावेगा एवं वह अपने अधिकारो से वंचित हो जावेगे। प्रार्थीया द्वारा स्वयं की सहमति से प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 को अपनी स्वेच्छा से प्रतिपक्षी नम्बर 1 से बुलाकर घरमे रखे जिसमें प्रारथीया की पूर्णतया सहमती है प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि तुम्हारे भाई को घरमे रखलो ताकि इन बच्चो का साया बना रहे। इसके पश्चात् प्रार्थीया के मनमे बदनियती आ जाने के कारण प्रतिपक्षी नम्बर 2 व 3 के विरूद्ध असत्य कथनो का सहारा लेकर डंती रिपोर्ट दर्ज करवायी जाती है। जबकि प्रतिपक्षी नम्बर 2 व 3 का किसी प्रकार का कोईदुर्भावना नही है मात्र अपनी बहिन के बच्चो व अपनी बहिन की सुरक्षा हेतु प्रार्थीया द्वारा स्वयं ने रखा गया है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 द्वारा किसी प्रकार से दूसरा विवाह नही किया गया है झूठा आरोप लगाकर प्रार्थीया अप्रार्थी क्रम 1 को घर से बेधर करना चाहती है। इसी आशय से असत्य कथनो का सहारा लेकर झंठे कथनो को अकित किया गया है। विवाह के पश्चात् से ही बहू बनकर आयी थी इस प्रकार से किसी प्रकार की स्वीकृति देने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

..श्न ही उत्पन्न नही होता है जहां तक प्रश्न प्रतिपक्षी नम्बर 2 व 3 का है प्रार्थीया स्वयं ने ..नी सहमति से बच्चो की सुरक्षा व देखरेख व अपनी बहिन के साथ निवास करने के लिए प्रतिफक्षी नम्बर 2 व 3 को प्रार्थया ने सहमति दी थी। एवं प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के उपर जो आरोप लगाया गया है वह पूर्णतया निराधार है एक तरफ तो प्रार्थीया स्वयं पैरा नम्बर 8 में प्रतिपक्षी नम्बर 1 अन्य दादाबाड़ी कोटा मे निवास करना बताया दूसरी तरफ पैरा नम्बर 10. में प्रतिपक्षी नम्बर 1, 2, 3 द्वारा मिलकर मारपीट करना बताया, इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी नम्बर 1 दादाबाडी मे निवास नही करती बल्कि इसी मकान मे निवास करती है जहां पर पोता एवं पोती पर जो आरोप लगाया गया है वह पूर्णतया निराधार है प्रार्थीया द्वारा जानबूझकर प्रतिपक्षी नम्बर 1 के पुत्र एवं पुत्री को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। मकान में पाबन्दियां लगा रखी है, खाने को नही देती है, कभी लाईट बन्द कर देती है कभी पानी बन्द कर देती है, इस प्रकार प्रार्थीया जान बूझकर प्रतिपक्षी नम्बर 1 व उसके पुत्र एवं पुत्रियो को जबरन मकान से निकालने के लिये कई मर्तबा असत्य कथनो का सहारा लेकर ठी रिपार्ट दर्ज करवायी गयी । जबकि प्रतिपक्षी नम्बर 1 व 2 3 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कृत्य कारित नही किया गया अपने छोटे पुत्र अजय से मिलकर प्रतिपक्षी नम्बर 1 व उसके पुत्र पूत्रीयो को मकान से बेदखल करना चाहती है। क्योकि उक्त मकान मे प्रतिपक्षी क्रम 1 व पुत्र व पत्री को पूर्णतया अधिकार प्राप्त है किन्त प्रार्थीया के मनमें बदनियती आ जाने के कारण असत्य कथनो का सहारा लेकर मकान को हड़प करने की गरज से उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो स्वतःही निरस्तनीय है प्रतिपक्षी नम्बर 1 व उसके पुत्र पुत्रियो को अपने अधिकारो से कानूनी के विरूद्ध जाकर बेघरबार कर दिया गया तो रोड पर रहने के लिये मजबूर होना पड़ेगा और अपने अधिकारो से वंचित रहना पड़ेगा। प्रतिपक्षीगणो से प्रार्थीया की किसी प्रकार की कोई परेशान नही है स्वयं प्राथीया जान बूझकर असत्य कथनो का सहारा लेकर प्रतिपक्षी नम्बर 1 व उसके बच्चो को बेघरबार करना चाहती है जिसका उसे किसी भी रूप मे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थना प्रार्थीया पूर्णतया अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय कोस्ट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे। एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी प्रतिपक्षी क्रम 1 व उसके पुत्र व पुत्री को दिलवाये जाने की कृपा करे।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीया की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीया के भूखण्ड स0 48–बी ब्लाक 22.6×30 फीट पर बना मकान वाके महावीर कोलोनी, रंगपुर रोड कोटा जंक्शन जिला कोटा स्थित मकान के ग्राउन्ड फलोर से बेदखल करवाया जाना व प्रार्थीया की सुरक्षा प्रदान करवाया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें व अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थीया को दिलाई जावें।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। बाद अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी नं0 2 व 3 बतौर अतिक्रमी उपरोक्त वर्णित मकान में काबिज है जिसमें अप्रार्थी नं0 2 व 3 का किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नही बनता है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, मारपीट एवं मकान से बेदखल करने की धमकी देने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस

उपखण्ड अधिकारी * कोटा *

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

. से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अप्रार्थी नं0 2 व 3 ार्थी नं0 1 के रिश्तेदार है एवं उनका विवादित मकान में निवास करने का किसी प्रकार से अधिकार नही है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने हेतु निवेदन किया है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 2 व 3 को मकान 48–बी दुबे पार्क के सामने, टाटा टावर के पास, महावीर कोलोनी रंगपुर रोड कोटा जं0 जिला कोटा से बेदखल किया जाता है एवं अप्रार्थी नं0 2 व 3 को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 5 योम मकान 48–बी दुबे पार्क के सामने, टाटा टावर के पास, महावीर कोलोनी रंगपुर रोड कोटा जं0 जिला कोटा को खाली कर देवें। चूंकि प्रार्थीया अपने कथनों को सिद्ध नही करने में असफल रही है जिस कारण अप्रार्थी नं0 1 को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थी नं0 1 को पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। बेदखली के आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी विज्ञान नगर कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/3/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा